



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1507/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
दशरथ कुमार जांगिड धैंतल का बासा] तहसील- थानागाजी अलवर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राजस्थान सूचना आयोग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस. एल. मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-05-2017 के द्वारा विभिन्न राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित किये गये आवेदनों के बाबत सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 01-08-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने आवेदन में जो सूचना चाही है वह विभिन्न राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित आवेदनों के संबंध में है। जैसे तहसीलदार, जिला परिषद् के सीओ, उप खण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी को प्रेषित आवेदनों की सूचना चाही गई है जो संबंधित अधिकारी व कार्यालय से ही दिया जाना सम्भव है। इस आशय का विनिश्चय अपीलार्थी को दिनांक 12-06-2017 को प्रेषित कर दिया गया था। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील पेश की गई जो दिनांक 01-08-2017 को खारिज की गई है। राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय को सही माना गया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 16-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। पत्र दिनांक 12-06-2017 प्रथम अपील निर्णय दिनांक 01-08-2017 की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त